**भारत सरकार**

**इस्पात मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या. 1729**

**13 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए**

**राष्ट्रीय इस्पात नीति**

**1729. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद**
**श्री टी.आर.वी.एस. रमेश**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की एक राष्ट्रीय इस्पात नीति है जिसमें वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन (एमटी) कच्चे इस्पात की क्षमता, 255 मिलियन टन उत्पादन और 158 किलोग्राम प्रति व्यक्ति तैयार इस्पात की मजबूत खपत का अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसका पालन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

**उत्तर**

**इस्पात राज्य मंत्री** **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क)और(ख): जी हाँ। भारत सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 अधिसूचित की है जिसमें प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग के विकास की परिकल्पना की गई है जिसके द्वारा इस्पात उत्पादकों को नीतिगत सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करके इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय इस्पात नीति इस्पात की मांग, इस्पात क्षमता, कच्चे माल की सुरक्षा, अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) और ऊर्जा दक्षता जैसे इस्पात क्षेत्र से संबंधित सभी पहलुओं को कवर करती है।

राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017 में परिकल्पित घरेलू क्रूड इस्पात क्षमता, उत्पादन, तैयार इस्पात की प्रतिव्यक्ति खपत का मूल्य से संबंधित समग्र अनुमान नीचे दर्शाया गया है:-

| क्र.सं. | मापदंड | अनुमान (2030-31) |
|---|---|---|
| 1 | क्रूड इस्पात की कुल क्षमता | 300 एमटी |
| 2 | क्रूड इस्पात की कुल मांग/उत्पादन | 255 एमटी |
| 3 | तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत कि.ग्रा में | 158 कि.ग्रा |
| स्रोत: राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017 | | एमटी= मिलियन टन |

(ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, सरकार, इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए एक अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित करते हुए एक सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. सरकारी खरीद में घरेलू रूप से विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पादों को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।

ii. घरेलू रूप से उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

iii. गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण तथा आयात को रोकने और जनसाधारण के लिए गुणवत्तायुक्त इस्पात उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को अधिसूचित करना।

iv. भारत के इस्पात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कतिपय इस्पात उत्पादों पर एंटी डम्पिंग शुल्क (एडीडी), प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) जैसे कारोबारी सुधारात्मक उपायों के अंशांकन (कैलिब्रेशन) सहित इस्पात उत्पादों तथा कच्चे माल पर आधारभूत सीमा शुल्क में समायोजन।

v. देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।

vi. केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्योग संघों और स्वदेशी इस्पात उद्योग के अग्रणियों सहित विभिन्न हितधारकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए उनके साथ सहभागिता।

vii. अवसंरचना, आवासन और विनिर्माण क्षेत्र में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारकों के साथ सहभागिता।

*****